संख्या–571 जेड/6–सा–1–10–6के0पी0/2010

प्रेषक,

अजेय कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 07 अप्रैल, 2010

विषय : वित्तीय वर्ष 2010–11 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित कुल रूपये 58,91,000/– (रूपये अट्ठावन लाख इक्यानवे हजार मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखा शीर्षक/मद	धनराशि (हजार रूपये में)
अनुदान संख्या–28 2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर–092–अन्य कार्यालय–03–उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय–	
01–वेतन	3733
03–मंहगाई भत्ता	1232
04–यात्रा भत्ता	50
06–अन्य भत्ते	452
07–मानदेय	50
08–कार्यालय व्यय	50
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
13–टेलीफोन पर व्यय	1
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	80
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10
18–प्रकाशन	10
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1
22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	20
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	90
42–अन्य व्यय	10
45–अवकाश यात्रा व्यय	20

46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1
49–चिकित्सा व्यय	50
50–मँहगाई वेतन	–
51–वर्दी	1
योग	5891

(रूपये अट्ठावन लाख इक्यानवे हजार मात्र)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी ओदशों के अनुसार किया जोयगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहाँ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भाविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाये।

3– वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–28 के लेखा शीर्षक "2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर–092–अन्य कार्यालय–03–उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजेय कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव।

पृ0सं0–571 (1)जेड/6–सा–1–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदीर) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट–प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15–थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्यय) अनुभाग–1
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
8– आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9– बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।